web copy

श्रीमान् न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट चूरू
पीठासीन अधिकारीः राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या–2018/00070 दायर दिनांक 16.07.2018

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू –सायल–

बनाम

राकेश कुमार पुत्र फूलाराम मूंड, गाड़ी नं. आर.जे.10 जीए 7681 (नमूना स्थल) –गैरसायल–
लूणकरणसर रोड़ सवाई छोटी, तहसील सरदारशहर। स्थाई पता– ग्रा.पो. करणसर
तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

परिवाद जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (।।)/51 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित – 1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी वास्ते पैरोकार राज।

निर्णय दिनांक 27.08.2018

यह परिवाद मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर (ऑनलाईन) किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य खाघ सुरक्षा अधिकारी के अनुसार निम्नानुसार है :–

1. यह कि मै मदनलाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संम्पादन कर रहा हूं। और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझें कार्य क्षेत्र जिला चूरू में आने वाले समस्त स्थानिय क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की प्रतियां न्यायनिर्णयन के आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.03.2018 को 10:30 ए.एम. पर लूनकरनसर रोड सवाई छोटी, पहुचा। वहां पर राकेश कुमार गाडी न. आर.जे.10 जीए 7681 में 25 टंकियो में लगभग 800 लीटर दूध बेचने हेतु ला रहा था। मैने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया श्री राकेश कुमार से पुछने पर बताया कि मै दूध बेचने का कार्य करता हूं। मैने एक टंकी में जिसमें में लगभग 35 लीटर उपलब्ध दूध की किस्म पूछने पर विक्रेता ने बताया कि इसमें मिक्स दूध है।
3. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया की इस टंकी में करीबन 35 लीटर मिक्स दूध था इस मिक्स दूध मे मिलावट का शक होने पर उसमें से मिक्स दूध को हिलाकर मिलाकर एक रूप करके 02 लीटर मिक्स दूध एक साफ सुथरी खाली स्टील के बर्तन में वास्ते जांच नमूना खरीद किया। जिसकी कीमत विक्रेता श्री राकेश कुमार को 68/–रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री इस्लामूदीन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।
4. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5ए कि प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं गवाह को पढाकर एवं समझाकार एवं सुनाकर हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विक्रेता राकेश कुमार को देकर रसीद प्राप्त की फार्म नम्बर 5ए की रिपोर्ट न्यायनिर्णयान आवेदन के साथ संलग्न है।
5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मिक्स दूध को मिलाकर एक रूप कर विक्रेता एवं गवाह को चार खाली साफ सुखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा मिक्स दूध को प्रत्येक

अति. जिला कलक्टर
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
चूरू

web copy



प्लास्टिक की बोतलो में बराबर बराबर मात्रा में डालकर प्लास्टिक की बोतलो में परिरक्षक फोर्मलीन की 40–40 बूंदे डालकर प्लास्टिक की बोतलो को ढकन्न लगाकर ऐयरटाईड बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूनें की प्लास्टिक की बोतलो पर चिपकाये और लेबल पर डी ओ के कोड एवं क्रमांक एल–1787 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर अन्य विवरण दूध की किस्म, दिनांक, नमूना लेने का स्थान, परिरक्षक की मात्रा अंकित कि लेबल पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये चारो नमूनों के भागों को अलग अलग खाखी कागज मे लपेट कर दोनो सीराओं को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी ओ जिला चूरू की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एल–1787 नियमानुसार चारों नमूनों बोतलों पर राउण्ड टू बोटम गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूनें के भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूने पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसर इस प्रकार करवाये कि हस्ताक्षर पेपर स्लीप व रेपर दोनों पर आवें एवं खाखी पेंपर पर गवाह के हस्ताक्षर करवायें। चारों नमूनों के भागों पर नमूना संख्या, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ की किस्म परीरक्षक की मात्रा अंकित कि गई एवं मैंने हस्ताक्षर कर चारों नमूनों के भागों को अपने कब्जे में लिया। मौके की फर्द रिपोर्ट बनाकर व्यापारी एवंम गवाह के हस्ताक्षर करवायें एवं मेने हस्ताक्षर किये। एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है जिसके द्वारा मेने नमूना सील चपडी किया।

6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पर पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार कर पुनः नमूनों के भाग को आउटर कवर में मय फार्म नम्बर 6 की प्रति रखकर पुनः नमूना पैक किया एवं धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी लगाकर सील बन्द किया। एवं नमूनो के भाग पर मुख्य विश्लेष्क राज्य, केन्द्रीय प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर का पता लिखकर नमूना संख्या एवं दिनांक डालकर एवं मेरे हस्ताक्षर कर राज्य केन्द्रीय प्रयोगशाला जयपुर में भिजवाया साथ में एक सील बन्द लिफाफें मे फार्म नम्बर 6 की 02 प्रतियां सील बन्द लिफाफे में अलग से भिजवाया। नमूना जमा कराने की रसीद एवं फार्म नम्बर 6 की प्रति जमा कराने रसीद न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूने फार्म न. 6 की दो प्रतियों के साथ आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर तथा नमूनो का चौथा भाग अलग से आउटर कवर में फार्म न. 06 की दो प्रतियो के साथ नियमानुसार आउटर कवर में सील बन्द कर डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पत्र अग्रेसन क्रमांकः–135 दिनांक 02.05.2018 प्राप्त हुआ, जिसके साथ खाद्य विश्लेषक राज्य, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर की रिपोर्ट संख्या एल.एस./600/एक्ट/2018/695 दिनांक 24.04.2018 प्राप्त हुई जिसमें विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया मिक्स दूध सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।
8. श्रीमान् अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/209 दिनांक 12.06.2018 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णय आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया।
9. यह कि उक्त प्रकरण में राकेश कुमार ने सबस्टैण्डर्ड, मिक्स दूध का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमानजी से समक्ष प्रस्तुत है।

गैरसायल को जरिये नोटिस दिनांक 21.08.2018 को तलब किया गया। गैरसायल ने दिनांक 21.08.2018 को जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना–पत्र पेश किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ ने बहस में कहा कि खाद्य पदार्थ मिक्स दूध का सेम्पल नं. एल–1787 रिपोर्ट संख्या एल.एस./600/एक्ट/2018/695 दिनांक 24.04.2018 के अनुसार पाया गया

web copy



है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन हुआ है। खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 में उल्लेखित शास्ति से गैरसायल को दण्डित किया जावें।

गैरसायल ने प्रार्थना–पत्र में कहा है कि उसके द्वारा भूलवश ऐसी गलती हुई है। भविष्य में इस प्रकार की गलती पुनः नहीं होगी। गैरसायल एक मजदूरी पेशा व्यक्ति है। वह उक्त प्रकरण में हुई गलती को स्वीकार करता है। कम से कम अर्थदंड दिया जाकर प्रकरण को इसी स्टेज पर ड्रॉप फरमाया जावे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ की बहस को सुना गया। परिवाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। चूंकि गैरसायल द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ मिक्स दूध की रिपोर्ट संख्या एल.एस./600/एक्ट/2018/695 दिनांक 24.04.2018 से सबस्टैण्डर्ड (Under Section 3(1)(zx) of FSS Act, 2006) होना पाया गया है। इस प्रकार गैरसायल के द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय का कारोबार करना परिवाद से साबित है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में गैरसायल को सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ दूध बेचने के कारण एवं उक्त कृत्य प्रथम बार होने के कारण सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत गैरसायल राकेश कुमार पुत्र फूलाराम मूंड, स्थाई पता– ग्रा.पो. करणसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू को 25,000 रूपये (पच्चीस हजार रूपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है तथा गैरसायल को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में पुनः खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन नहीं करें। गैरसायल उक्त राशि 15 दिवस के अन्दर अन्दर जरिये चालान बैंक में राज्य सरकार के बजट हैड–0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियॉ, (03)– खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा कराकर चालान की प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी को देवे अन्यथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि गैरसायल द्वारा शास्ति राशि जमा नहीं करवाये जाने पर गैरसायल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
चूरू